150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

# अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

अविप्रा AJMER DEVELOPMENT AUTHORITY

टोडरमल मार्ग, अजमेर

E-Mail :- ajmerada@gmail.com
Website :- urban.rajasthan.gov.in/ada

Contact : 0145-2627748
0145-2627749

क्रमांक / अविप्रा / प–6 / भण्ड़ार / 2019–20 / 1558 दिनांकः– 24 / 2 / 2020

## आदेश

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की कार्यकारी समिति की बैठक 11.02.2020 में नई दरें अनुमोदित कर लागू की गई हैं जिसका विवरण निम्नानुसार हैं यह दरें दिनांक 01.03.2020 से लागू की जाती हैं :–

| S. no. | Community Hall Name | Rent (Rs.) | GST 18% | | Security | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CGST 9% | SGST 9% | | |
| 1 | HBU Main Community Hall | 37000 | 3330 | 3330 | 10000 | 53660 |
| | II day Rent 15% off | 31450 | 2831 | 2831 | 10000 | 47112 |
| | III day Rent 30% off | 25900 | 2331 | 2331 | 10000 | 40562 |
| 2 | HBU Extention Community Hall | 13000 | 1170 | 1170 | 10000 | 25340 |
| | II day Rent 15% off | 11050 | 995 | 995 | 10000 | 23040 |
| | III day Rent 30% off | 9100 | 819 | 819 | 10000 | 20738 |
| 3 | CBN C-Block Community Hall | 13000 | 1170 | 1170 | 10000 | 25340 |
| | II day Rent 15% off | 11050 | 995 | 995 | 10000 | 23040 |
| | III day Rent 30% off | 9100 | 819 | 819 | 10000 | 20738 |
| 4 | CBN A-Block Community Hall | 13000 | 1170 | 1170 | 10000 | 25340 |
| | II day Rent 15% off | 11050 | 995 | 995 | 10000 | 23040 |
| | III day Rent 30% off | 9100 | 819 | 819 | 10000 | 20738 |
| 5 | Vishram Bhawan Community Hall | 34000 | 3060 | 3060 | 10000 | 50120 |
| | II day Rent 15% off | 28900 | 2601 | 2601 | 10000 | 44102 |
| | III day Rent 30% off | 23800 | 2142 | 2142 | 10000 | 38084 |
| 6 | Chatri Yojana Community Hall | 13000 | 1170 | 1170 | 10000 | 25340 |
| | II day Rent 15% off | 11050 | 995 | 995 | 10000 | 23040 |
| | III day Rent 30% off | 9100 | 819 | 819 | 10000 | 20738 |
| 7 | Jawahar Rangmanch Community Hall | 20000 | 1800 | 1800 | 10000 | 33600 |
| 8 | CBN. Cricket Ground | 1500 | 135 | 135 | 0 | 1770 |
| 9 | J.P. Nagar Madar Community Hall | 13000 | 1170 | 1170 | 10000 | 25340 |
| | II day Rent 15% off | 11050 | 995 | 995 | 10000 | 23040 |
| | III day Rent 30% off | 9100 | 819 | 819 | 10000 | 20738 |
| 10 | Meeting Room at Jawahar Rangmanch | 5000 | 450 | 450 | 10000 | 15900 |
| 11 | Cricket Ground with Pavallion at CBN | 10000 | 900 | 900 | 10000 | 21800 |
| | II day Rent 15% off | 8500 | 765 | 765 | 10000 | 20030 |
| | III day Rent 30% off | 7000 | 630 | 630 | 10000 | 18260 |

| Cancellation Rules (deduction %) | |
|---|---|
| Cancellation on One day before event Date. | 100% Amt. of rent will be deducted + 100% Security Amount. Will be Refunded. |
| Cancellation before 02 days from event Date. | 75 % Amt. of rent will be deducted + 100% Security Amount. Will be Refunded. |
| Cancellation between 03 - 10 days from event Date. | 50 % Amt. of rent will be deducted + 100% Security Amount. Will be Refunded. |
| Cancellation between 11 - 60 days & Above from event Date. | 25 % Amt. of rent will be deducted + 100% Security Amount. Will be Refunded. |

## नियम एवं शर्तो :–

1. सम्पत्तियों के रखरखाव व संचालन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
2. जवाहर रंगमंच की तर्ज पर प्राधिकरण अपने स्तर पर सामूदायिक भवनों का संचालन व रख रखाव स्वयं करेगी।
3. दरें संशोधित की जाने हेतु सिफारिश की गई हैं जिसमें किराया राशि में ही सफाई बिजली पानी व्यय शामिल हैं।
4. जवाहर रंगमंच की एक दिन में एक बुकिंग की जावें एवं टाईम 6 ऑवर होगा।
5. जिला प्रशासन को जवाहर रंगमंच उनके द्वारा समय समय पर कि गई मांग के अनुसार निःशुल्क दिया जायेगा राजकीय आयोजन/चुनाव सम्बंधित एवं अन्य राजकीय कार्यो/आवश्यकता पड़ने पर अन्य बुकिंग को निरस्त किये जाने का अधिकार प्राधिकरण, आयुक्त को होगा।
6. जवाहर रंगमंच की दरों में निम्न परिस्थितियों में अध्यक्ष द्वारा अधिकतम 50 प्रतिशत की रियायत दी जा सकेगी परंतु संस्था/व्यक्ति को पहले पूर्ण राशि की ऑनलाईन बुकिंग करानी होगी।

a) मान्यता प्राप्त सामाजिक सस्थाएं जिनके द्वारा सामाजिक कार्यक्रम के लिए उपयोग किया जायेगा

b) कला एवं संगीत एकेडमी :– जो कला के क्षेत्र में राजस्थान में रजिस्टर्ड हो एवं जनहित के लिए कार्य करती हो।

c) पंजीकृत शिक्षण संस्थाएं :– जिनका शिक्षा के लिए अभूतपूर्व योगदान हो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए का करती हो।

d) रंगकर्मी :– नाटकों का मंचन जिससे समाज में समाजोपयोगी संदेश दिया जाता हो।

7. सामूदायिक भवन एवं जवाहर रंगमंच जिस स्थिति में दिया जायेगा उसी स्थिति में वापस लिया जायेगा, यदि को भी टूट फूट पाई जाती है तो अमानत राशि में से कटौती की जावेगी।
8. सामूदायिक भवन, क्रिकेट ग्राउण्ड व जवाहर रंगमंच सभी की बुकिंग वेबपोर्टल udhonline.rajasthan.gov.i पर ऑनलाईन की जा सकेगी बुकिंग करने एवं निस्तीकरण की कार्यवाही भी ऑनलाईन की जावेगी। मैन्यूअ बुकिंग/निरस्तीकरण हेतु किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जावेगा।

09. सामूदायिक भवन खाली होने की दशा में मृत्यु के उठावने के कार्य के लिए 03 घण्टे के लिए निःशुल्क उपयो हेतु दिया जा सकेगा।

10. ऑनलाईन राशि जमा करवाए जाने पर सर्वर/नेटवर्क प्रोब्लम या किसी तकनीकी कारणों से राशि प्राधिकरण को में प्राप्त नहीं होती हैं तो इसके लिए प्राधिकरण की जिम्मेदारी नही होगी।

11. भवन व परिसर में किसी भी प्रकार के गैर कानूनी कार्यो की अनुमति नही दी जायेगी ऐसा पाये जाने पर सम्बंधि के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

12. सामूदायिक भवन में खाना बनाने हेतु स्थान निर्धारित हैं, उसी स्थान पर भोजन बनाया जा सकेगा ताकि भवन क सुन्दरता व रखरखाव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ें।

13. सामूदायिक भवन में सुरक्षा व्यवस्था बुकिंगकर्ता की होगी, किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदा बुकिंगकर्त्ता की होगी।

14. भवन में विद्युत के स्वीकृत/तय सीमा से अधिक लोड नही लिया जा सकेगा, अधिक लोड का उपयोग करने प होने वाले समस्त नुकसान कि जिम्मेदारी बुकिंगकर्ता की होगी।

15. राजकीय कार्यक्रम एवं प्राधिकरण के समस्त कर्मचारीगणों द्वारा किये गये कार्यक्रम पर सामूदायिक भवन परिसर निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा।

16. आस–पास में रहने वाले निवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भवन एवं परिसर में आरकेस्ट्रा एवं माई के उपयोग पर जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश लागू माने जाऐगें।

17. जवाहर रंगमंच के हॉल के अन्दर खाने पीनें का सामान एवं पीने का पानी ले जाना सर्वथा निषेध है। पीने क पानी एवं पैक्ड खाद्य पदार्थ के लिए हॉल के निर्धारित कैटरिंग काउण्टर का ही उपयोग करना होगा, जिसक उपयोग केवल हॉल के बाहर ही किया जा सकेगा। कैटरिंग काउण्टर पर किसी प्रकार की खाद्य सामग्री बना एवं पकाने की अनुमति नही है।

C:\Users\admin\Desktop\HK\note sheet\Karyasamiti Prastaw.doc

18. जवाहर रंगमंच का उपयोग किसी भी शादी, पार्टी, जन्मदिन, रिसेप्शन एवं अन्य किसी प्रकार के पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए नही दिया जायेगा।
19. जवाहर रंगमंच में किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ आतिशबाजी आदि लाना अथवा उसका उपयोग करना वर्जित है, साथ ही धूमपान, मदिरा सेवन व किसी भी नशीली वस्तु का सेवन निषेध हैं।
20. किसी भी अप्रत्याशित एवं आकस्मिक दुर्घटना के लिएँ प्राधिकरण जिम्मेदार नही होगा।
21. किसी प्रकार के मतभेद एवं विवाद की दशा में प्राधिकरण क्षैत्र अजमेर होगा।
22. सामूदायिक भवन में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग निषेध होगा।
23. सभी सामूदायिक भवन की बुकिंग का समय प्रातः 9.00 बजे से दूसरे दिन प्रातः 8.00 बजे तक रहेगा।
24. क्रिकेट ग्राउण्ड एवं पेवैलियन भवन एक साथ बुक कराने पर ही प्रातः 8.00 बजे से दूसरे दिन प्रातः 8.00 बजे तक दिये जायेगें। राजकीय आयोजन/चुनाव सम्बंधित एवं अन्य राजकीय कार्यो के लिए आवश्यकता पड़ने पर अन्य बुकिंग को निरस्त किये जाने का अधिकार प्राधिकरण, आयुक्त को होगा।
25. जिला प्रशासन, राजकीय/रजिस्टर्ड संस्था को निशुल्क खेल आयोजन करने हेतु खाली होने पर ग्राउण्ड एवं पेवैलियन के लिए आवंटन अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जा सकेगा।
26. पार्को एवं स्मारकों को सामाजिक कार्यक्रम हेतु विकास समितियों/रजिस्टर्ड संस्थाओं को अध्यक्ष महोदय द्वारा निशुल्क आवंटन किया जा सकेगा।
27. किसी भी बुकिंग को निरस्त करने का सर्वाधिकार प्राधिकरण को होगा।

ED

**(किशोर कुमार)**
**सचिव,**
**अजमेर विकास प्राधिकरण,**
**अजमेर।**

क्रमांक/अविप्रा/प–6/भण्ड़ार/2019–20/20352-60 दिनांकः–24/2/2020

प्रतिलिपि :–

1. अति. निजी सचिव, अध्यक्ष अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. अति. निजी सचिव, आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. निजी सहायक, सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
4. उपायुक्त दक्षिण, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
4. निदेशक अभियान्त्रिकी, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. अति0 मुख्य अभियन्ता, अजमेर विकास प्राधिकरण, अंजमेर।
6. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर/भण्डार अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
7. अधिशाषी अभियन्ता उत्तर/दक्षिण को भेजकर लेख है कि संम्बंधित सामूदायिक भवनों के रख रखाव एवं संचालन प्राधिकरण स्तर पर करने हेतु व्यवस्था करें।
8. ई–कनेक्ट सोल्यूशन प्रा. लि. उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त संशोधित दरों को यू.डी.एच. पोर्टल पर अपेडेट करें।

**(किशोर कुमार)**
**सचिव,**
**अजमेर विकास प्राधिकरण,**
**अजमेर।**